सत्यमेव जयते

फाइल सं0 6/3/एनसीएससी/2012-समन्वय प्रको-ठ

भारत सरकार

<u>रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग</u>

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांकः 30 **मई**, 2012

वि-ायः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 26वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की **दिनांक 21-05-2012 को पूर्वाह्न** 10.30 **बजे** आयोजित 26**वीं बैठक** के अनुमोदित कार्यवृत्त की एक प्रति इसके साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित की जाती है ।

(ए.के. सिंह)
अनुभाग अधिकारी

1. माननीय अध्यक्ष के अपर निजी सचिव
2. माननीय उपाध्यक्ष के निजी सचिव
3. माननीय सदस्य(आरपी) के निजी सचिव
4. माननीय सदस्य(एमएस) के निजी सचिव
5. माननीय सदस्य(एलपीके) के निजी सचिव
6. सचिव के निजी सहायक
7. संयुक्त सचिव के निजी सचिव

निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यवृत्त की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वे बैठक में लिए गए निर्णयों पर <u>3 दिन के भीतर</u> कार्रवाई करें :-

1. निदेशक (प्रशासन/समन्वय प्रकोष्ठ/एपीसीआर/ईएसडीडब्ल्यू)
2. प्रभारी अधिकारी (एसएसडब्ल्यू)
3. अवर सचिव (एसएसडब्ल्यू)
4. अवर सचिव (एपीसीआर)
5. उप निदेशक (ईएसडीडब्ल्यू)

(ए.के. सिंह)
अनुभाग अधिकारी

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 21-05-12 को पूर्वाह्न 10.30 बजे आयोजित 26वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 26वीं बैठक दिनांक 21-05-12 को पूर्वाह्न 10.30 बजे डॉ. पी.एल. पुनिया, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में आयोजित की गई थी ।

1.1 **<u>उपस्थित सदस्य:</u>**

i) श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
ii) श्री राजू परमार, सदस्य
iii) श्री एम. शिवाना, सदस्य

2.2 **<u>उपस्थित अधिकारी:</u>**

i) श्री टी. तीथन, संयुक्त सचिव
ii) श्री एम.आर. बाली, निदेशक
iii) श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव
iv) श्री जगजीत सिंह, अध्यक्ष के अपर निजी सचिव
v) श्री ए.के. सिंह, अनुभाग अधिकारी

2. माननीय अध्यक्ष ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी ।

3. विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

कार्यसूची की मद संख्या 1 एवं 2 :	**दिनांक 12-3-12 को आयोजित आयोग की 25वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि तथा उस पर की गई कार्रवाई ।**

आयोग ने दिनांक 12-3-12 को आयोजित आयोग की 25वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की तथा इस बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई को अनुमोदित किया ।

कार्यसूची की मद संख्या 3	**मैला ढोने वालों के रूप में रोज़गार के निषेध तथा उनके पुनर्वास विधेयक, 2012 पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टिप्पणी ।**

आयोग द्वारा टिप्पणी को अनुमोदित किया गया।

(कार्रवाई: ईएसडीडब्ल्यू)

कार्यसूची की मद संख्या 4	**समन पर गैर–हाजिरी पर न्यायालय का अवमान ।**

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से कार्यालय ज्ञापन संख्या 36036/2/97-स्थापना (आरक्षण) दिनांक 1 जनवरी, 1998 तथा कार्यालय ज्ञापन संख्या 36036/2/97-स्थापना (आरक्षण) दिनांक 30 नवम्बर, 1998 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के परामर्श के बिना जारी करने के कारण पूछे जाएं ।

(कार्रवाईः ईएसडीडब्ल्यू)

कार्यसूची की मद संख्या 5	**छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 17 जिला जजों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में न्यायमूर्ति एम.एन. राव, अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली से पत्र ।**

विधि एवं न्याय मंत्रालय को एक पत्र लिखा जाना चाहिए कि भारत सरकार को उच्च न्यायपालिका (उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय) में आरक्षण के लिए नियम बनाने चाहिएं ।

(कार्रवाईः एसएसडब्ल्यू)

कार्यसूची की मद संख्या 6	**अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद ।**

(i) वार्षिक रिपोर्ट 2010-11 (भाग) तथा 2011-12 आयोग द्वारा अनुमोदित की गई ।

(ii) माननीय अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि एक पत्र लिखा जाए जिसमें आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों को "लाभ का पद" के परे माना जाए ।

(iii) माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 18-5-2012 को पुणे स्थित आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों के लिए सीएमआईएस पर एनआईसी के प्रशिक्षण के दौरान मुख्यालय से किसी वरिष्ठ अधिकारी के उपस्थित न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की । उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि प्रशिक्षण संबंधी फीडबैक प्राप्त किया जाए और यदि आवश्यक हो तो मुख्यालय में समुचित प्रशिक्षण के लिए एक अन्य प्रशिक्षण अनुसूची नियत की जाए ।

(कार्रवाईः सी.सैल)

अन्त में माननीय अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई ।